न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 77/2025

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये रविन्द्र मील, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री तेजमल पोरवाल उचित मूल्य दुकनदार ग्रा. पं. खांखरा तह. किशनगंज जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 06.10.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.2025 को प्राप्त शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकारी, रमेशचन्द मीणा, प्रवर्तन अधिकारी, संतोष कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, ग्राम पंचायत खांखरा पहुंचे। मौके पर श्री तेजमल पोरवाल उचित मूल्य दुकनदार ग्राम पंचायत खांखरा तहसील किशनगंज उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर 6 कट्टे गेहूं के दुकान पर रखे हुए मिले। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता श्री भरत सिंह पुत्र श्री धरम सिंह द्वारा बताया गया कि उक्त कट्टे राशन डीलर तेजमल पोरवाल द्वारा ऑटो में डालकर बेचान हेतु ले जा रहा था। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से जानकारी लेने पर अवगत हुआ कि राशन डीलर गेंहू के बदले नकद पैसा देता है। मौके पर उपस्थित मोनू पुत्र फूलचंद द्वारा गेंहू के स्थान पर पॉश मशीन में अंगूठा लगार नकद राशि लेना स्वीकार किया। मौके पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा 300 किलोग्राम गेंहू उपभोक्ताओं से क्रय करना पाया गया। जिनको अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। उक्त 300 किलोग्राम गेंहू को श्री तेजमल पोरवाल, उचित मूल्य दुकानदार खांखरा को सुपुर्द कर उक्त गेंहू को अग्रिम आदेश तक खुर्दबुर्द नहीं करने एवं गेंहू को सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। मौके पर उचित मूल्य दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर पॉश मशीन में उपलब्ध स्टॉक 7318.59 किलोग्राम में से 2750 किलोग्राम गेंहू दुकान पर उपलब्ध था तथा शेष 4568.59 किलोग्राम गेंहू स्टॉक में कम पाया गया। इस प्रकार राशन डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों 1,4,11 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए राशन वितरण में गम्भीर अनियमितताएं की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 300 किलोग्राम गेहूं (मय बारदाना) को राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुआ परंतु अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं किया तथा दौराने विचारण अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी की सुनी गई ।

हमने बहस एकपक्षीय पेरोकार रसद की सुनी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

भवदीय

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों 1,4,11 व 18 का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 300 किलोग्राम गेहूं (मय बारदाना) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने दौराने विचारण ना तो जवाब पेश किया तथा ना ही बहस के दौरान उपस्थित रहा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि 300 किलोग्राम गेहूं (मय बारदाना) का अंतिम निस्तारण कर जप्तशुदा गेहूं 300 किलोग्राम मय बारदाना की खुली निलामी में विक्रय कराकर प्राप्त आय को नियमानुसार राजकीय अमानद मद में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.11.17 10:22:46 IST
Reason: SelfAttested